पत्र संख्याः–

कार्यालय प्रबंधक

बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

प्रेषक,

कुमार आलोक रंजन,
प्रबंधक,
बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क (प्रेस) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक–

विषयः– प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी के विभिन्न दैनिक सामाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराने के संबंध में।

.महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित है कि संलग्न निविदा को प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी के विभिन्न दैनिका सामाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का निदेश प्राप्त हुआ है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि विभिन्न दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0–सी0डी0 के साथ निविदा आमंत्रण पत्र।

विश्वासभाजन

\

(कुमार आलोक रंजन)
प्रबंधक
बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

ज्ञापांक–

पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा के e-advertisement हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

\

प्रबंधक
बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

ज्ञापांक– 313

पटना, दिनांकः– 14/5/26

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रबंधक
बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना।

D:sneha/tender-2026

कार्यालय प्रबंधक
बिहार सचिवालय भोजशाला,पटना।

निविदा आमंत्रण की सूचना

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय, भोजशाला द्वारा संचालित विधानमंडल भोजशाला में आगामी दो वर्षों के विभिन्न सत्रों यथा बजट सत्र, मॉनसुन सत्र, शीतकालीन सत्र, विशेष सत्र, मंत्रिपरिषद् की बैठक एवं विभागीय बैठकों के आवश्यकतानुसार **समय–समय पर अस्थाई कुशल कारीगरों एवं कामगारों यथा कुक, हलवाई, चाय बनाने वाले, वेटर, साफ–सफाई कर्मी (मानव बल) उपलब्ध कराने हेतु** कैंटीन/रेस्टुरेन्ट/कैटरिंग व्यवसाय एवं हाउसकीपिंग खान–पान से संबंधित सक्षम एजेंसियों से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक एजेंसी/फर्म उपलब्ध कराये गये प्रारूप में कम्प्यूटराईज टंकित दर उदृत् करेंगे (हस्त लिखित दरें अनुमान्य नहीं)। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में (द्वि–लिफाफा पद्धति) निबंधित डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में अवस्थित दिनांक–08.06.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला (विस्तारित भवन ब्लोक–2), पुराना (मुख्य) सचिवालय, पटना के कार्यालय में निविदा आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदाओं के तकनीकी निविदा को निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक–. 08.06.2026 को 04:00 बजे अपराह्न में निविदा समिति के समक्ष संयुक्त श्रमायुक्त, का कार्यालय ब्लॉक–"A" नियोजन भवन, बेली रोड, पटना अवस्थित कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। केवल उन्हीं निविदाओं के वित्तीय निविदा को निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांकः–.08.06.2026 को .04:00. बजे अपराह्न में खोला जाएगा, जिनका तकनीकी निविदा शर्त्तों के अनुरूप होगा। निविदा के संबंध में आवश्यक सूचना एवं प्रमुख शर्त्तें श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के वेबसाईट http://labour.bih.nic.in अथवा www.prdbihar.gov.in पर उपलब्ध है। प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला (विस्तारित भवन ब्लोक–2), पुराना (मुख्य) सचिवालय, पटना के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में अथवा मोबाईल संख्या–9473451067 पर सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

16.05.26

प्रबंधक,
बिहार सचिवालय भोजशाला,पटना।

<u>पात्रता</u> :– एक बड़े लिफाफा में *"बिहार सचिवालय भोजशाला में अस्थाई कारीगरों एवं कामगारों को समय–समय पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा"* अंकित कर उसके अंदर दो अलग–अलग मोहरबंद लिफाफे निम्न प्रकार से संलग्न करना आवश्यक है :–

(क) लिफाफा 'क' को *"बिहार सचिवालय भोजशाला में अस्थाई कारीगरों एवं कामगारों को समय–समय पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा" तकनीकी निविदा '* अंकित कर अपेक्षित दस्तावेज संलग्न कर लिफाफा को मुहरबंद करना आवश्यक है।

(ख) लिफाफा 'ख' को *"बिहार सचिवालय भोजशाला में अस्थाई कारीगरों एवं कामगारों को समय–समय पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा" वित्तीय निविदा"* अंकित कर विहित प्रपत्र में दरों को अंकित कर लिफाफा को मुहरबंद करना आवश्यक है।

वित्तीय निविदा केवल उन्हीं एजेंसी/फर्म की खोली जायेगी जो तकनीकी निविदा में उत्तीर्ण होगें।

तकनीकी निविदा में निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :–

1. कैंटीन/रेस्टोरेन्ट/कैटरिंग व्यवसाय चलाने में दो (2) वर्षों का अनुभव। एत्द संबंधी अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. एजेंसी/फर्म का पटना बिहार में कम से कम एक निबंधित कैंटीन/रेस्टोरेन्ट/कैटरिंग व्यवसाय पिछले दो साल से चल रहा हो (आवश्यक दस्तावेज साक्ष्य क तौर संलग्न करना अनिवार्य)।
3. एजेंसी/फर्म का बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम अन्तर्गत पंजीकरण की छायाप्रति एवं GST पंजीकरण की छायाप्रति।
4. विगत तीन वर्षों (FY 2023–2024, 2024–2025 एवं 2025–2026) का वार्षिक Turnover संबंधी Audited Statement की छायाप्रति जिसका वार्षिक औसत रू० एक करोड़ से कम न हो। (CA प्रमाण–पत्र अनुमान्य नहीं)।
5. EMD के रूप में रूपया–25000/ (पचीस हजार) का Demand Draft/Banker Cheque जो बिहार सचिवालय भोजशाला, बिहार, पटना के पक्ष में हो। NSIC एवं बिहार सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप पंजीकृत एजेंसी/फर्म द्वारा अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराने पर EMD समर्पित करना आवश्यक नहीं है। EMD की राशि ब्याज मुक्त एवं Refundable होगी।
6. एजेंसी/फर्म के काली सूची में नहीं करने संबंधी एफीडेबिट upload करना आवश्यक है।
7. निविदादाता द्वारा गलत कागजातों के जमा किये जाने पर उनके अग्रधन (EMD) को जब्त कर लिया जायेगा एवं निविदा निरस्त कर ली जायेगा।
8. निविदा में सफल उम्मीदवार का अग्रधन (EMD) Performance Guarantee में समायोजित कर लिया जायेगा। शेष निविदादाताओं का अग्रधन निविदा प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत निविदा शर्त के अनुरूप वापस कर दिया जायेगा।
9. निविदा में केवल एकल निविदादाता के तौर पर भाग लिया जा सकेगा। किसी भी प्रकार का Joint Venture/Consortium के तौर पर निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
10. एक निविदादाता के द्वारा केवल एक ही निविदा समर्पित किया जायेगा।
11. शर्त या शर्तों के साथ जमा की गई निविदा सीधे तौर पर निरस्त कर दी जायेगी।
12. निविदादाता को निविदा की सभी शर्तें, सेवा की शर्ते इत्यादि सही ढंग से पढ़कर और समझ कर ही भाग लेना होगा।

13. निविदादाता को निविदा से संबंधित सभी आवश्यक कागजात/साक्ष्य संलग्न करना होगा अथवा निविदा निरस्त की जा सकती है।

14. सक्षम प्राधिकार को निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा निविदा की तिथि को आगे बढ़ाने का पूर्ण अधिकार होगा। सभी संशोधन या सूचनाएं विभाग के वेबसाईट http://labour.bih.nic.in पर केवल प्रकाशित की जायेगी।

15. श्रमायुक्त, बिहार को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को पूर्णतः या अंशतः अस्वीकार कर सकते हैं अथवा किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्था को बिना निविदा में भाग लिये कार्यादेश दे सकते हैं। इस संबंध में श्रमायुक्त, बिहार का निर्णय अंतिम होगा।

16. कार्यादेश/एकरारनामा रद्द करने का अधिकार श्रमायुक्त, बिहार को सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में इसे श्रमायुक्त, बिहार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

<u>सेवा एवं अन्य शर्तें</u> :-

1. उद्धृत की गयी दर सभी करों सहित होगी, जो एकरारनामा हस्ताक्षरित होने की तिथि से अगले दो वर्षों तक मान्य होगी। सफल एवं संतोषजनक कार्य रहने पर एकरारनामा को अगले एक-एक वर्ष कुल तीन वर्षों तक के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

2. उद्धृत की गयी दर विहित प्रपत्र में होना आवश्यक है। निविदा प्रक्रिया में अंतिम रूप से चयनित होने वाले एजेंसी/फर्म को आमंत्रण स्वीकार करने की दशा में 15 दिनों के भीतर रूपया 2,00,000/- (दो लाख) परर्फोमेन्स गारन्टी (डिमांड ड्राफ्ट के रूप में) जमा करना आवश्यक होगा एवं इस जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता के द्वारा परर्फोमेन्स गारन्टी जमा नहीं करने या एकरारनामा नहीं करने पर, द्वितीय न्यूनतम निविदादाता एवं इसी प्रकार एजेंसी का चयन किया जाएगा। इनके द्वारा परर्फोमेन्स गारन्टी जमा नहीं करने पर इनके EMD की राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

3. एजेंसी/फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कारीगरों द्वारा बनाये गये व्यंजनों एवं खादय् पदार्थों के गुणवता खराब होने की स्थिति में अथवा कारीगरों या कामगारों के द्वारा अनुशासनहीनता या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में या एजेंसी के द्वारा इनके मानव बलों को सही समय पर भुगतान न करने की स्थिति में या मानव बलों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध न कराने की स्थिति में, अनुबंध रद्द करते हुए कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

4. एजेंसी के कारीगरों एवं कामगरों को कैंटीन एवं वर्क शॉप (किचेन) का स्थान, सभी सामानों यथा, गैस चुल्हा, बर्तन, कटलरी, ईधन इत्यादि सफाई सामग्री इत्यादि की सभी व्यवस्था, बिहार सचिवालय भोजशाला के द्वारा कराया जाएगा।

5. एजेंसी/फर्म द्वारा सरकार के दिशानिर्देश के अनुरुप TDS एवं GST का भुगतान स्वयं करना है।

6. एजेंसी/फर्म द्वारा विभाग से हुए एकरारनामा के आलोक में इस कार्य का संचालन स्वयं करना होगा एवं किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी/फर्म से इस कार्य को संचालन कराने हेतु Sub-Contract नहीं किया जायेगा।

7. एजेंसी/फर्म का चयन वित्तीय निविदा के अनुसार कुल न्युनतम उद्वत दर के आधार पर किया जाएगा। कुल दर समान होने की स्थिति में श्रमायुक्त, बिहार का निर्णय अंतिम होगा।

8. विभाग के उद्त् न्यूनतम दर संबंधी निविदा अथवा किसी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है। विभाग को बिना कारण किसी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा एवं इस संबंध में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह अंतिम एवं अधिनिर्णयन से परे होगा।

9. विभाग द्वारा एजेंसी/फर्म से एकरारनामा के अनरुप अथवा श्रम मानको के अनरुप अनुचित दशाओं एवं अन्य दुराचरण आदि की स्थिति में स्वयं के विकल्प के अनुरुप बिना किसी पूर्वाग्रह के 30 दिनों की पूर्व सूचना के साथ कार्यादेश को रद्द करने का अधिकार होगा एवं इस संबंध में श्रमायुक्त, बिहार का निर्णय अंतिम होगा।

10. विभाग को किसी एक निविदा अथवा सभी निविदाओं अथवा आमंत्रित निविदा प्रक्रिया को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

11. विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एजेंसी के कारीगरों एवं कामगारों के कार्यों की समीक्षा, व्यंजनों/खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता एवं व्यवस्था की जांच समय-समय पर की जायेगी।

12. एजेंसी को भारत एवं राज्य सरकार के सभी कानूनों यथा श्रम कानून इत्यादि, मानकों, वैधानिक दायित्वों का पालन करना होगा।

13. एजेंसी के द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराये गये अस्थाई कारीगरों एवं कामगारों के द्वारा कोई लाभ/नुकसान/भरपाई/अवशोषण/समावेश/नियमितीकरण का मांग अथवा दावा नहीं किया जा सकेगा।

14. एजेंसी एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी भी अस्थाई मानक बल के बीच के किसी भी विवाद के लिए बिहार सचिवालय, भोजशाला अथवा विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

15. एजेंसी द्वारा अपने मानव बलों को नियमित भुगतान करना होगा। एजेंसी अपने मानव बलों को भुगतान करने के पश्चात ही बिहार सचिवालय भोजशाला को अपना विपत्र भुगतान हेतु समर्पित कर पायेगी।

16. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी मानव बल अच्छे स्वास्थ्य में होने चाहिये तथा इनके द्वारा माननीय सदस्यों के समक्ष सदैव उत्कृष्ट आचारण, संयमित व्यवहार, अनुशासन प्रदर्शित करना होगा।

17. एजेंसी को अपने मानव बलों को उपलब्ध कराने से पूर्व स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से इनके पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करना होगा।

18. ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या हानि से उत्पन्न होने वाली सभी वैधनिक एंव अन्य देनदारियां केवल एजेंसी के द्वारा वहन की जायेगी।

19. एजेंसी के मानव बलों के द्वारा बिहार विधान मंडल के परिसर या सामान को किसी भी रूप में हुई क्षति या हानि को एजेंसी से वसूल की जायेगी।

20. एजेंसी और उनके मानव बलों को उन्हें दी गई जिम्मेदारी के क्षेत्रों के नुकसान, बरबादी या दुरूपयोग से बचाने हेतु उचित सावधानी बरतनी होगी।

21. एजेंसी के मानव बलों के किसी भी कार्य के कारण किसी भी मुकदमेबाजी से उत्पन्न होने वाले कोई भी देयता, खर्च, जुर्माना इत्यादि केवल एजेंसी के द्वारा वहन की जायेगी।

22. एजेंसी के द्वारा एक पर्यवेक्षी/प्रबंधकीय कर्मी की तैनाती की जायेगी जो प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यों एवं कर्मियों के सामंजस्य हेतु उपलब्ध रहेगा।

23. वित्तीय निविदा में उद्धत दरों में एजेंसी के सभी खर्चों, कामगारों/कारीगरों के मानदेय, आने-जाने के खर्चों, विभिन्न करों इत्यादि सभी सम्मिलित माने जायेंगे। ये दर दो साल तक की अवधि के लिए स्वीकृत होंगे। दो वर्ष के पश्चात संतोषजनक कार्य होने एवं एकरारमाना के विस्तारीकरण की स्थिति में स्वीकृत दरों में पाँच (05) प्रतिशत की बढ़ोतरी की जायेगी।

24. वित्तिय निविदा का मूल्यांकन सभी कारीगरों , कामगारों एवं पर्यवेक्षक हेतु निविदादाताओं द्वारा उद्धत किये गये इनके दैनिक लागतों को जोड़कर न्यूनतम कुल लागत निकाला जायेगा। न्यूनतम कुल लागत वाली एजेंसी को सफल घोषित किया जायेगा।

25. सफल एजेंसी को प्रत्येक सत्र के पश्चात अपना विपत्र जमा करना होगा। जिसे बिहार सचिवायल भोजशाला के द्वारा जांच कर अगले 15 दिनों में सभी उपयुक्त वैधानिक कटौतियों के पश्चात भुगतान कर दिया जायेगा। अगर कोई सत्र 15 दिनों से ज्यादा चलता है तो वैसी परिस्थिति में 15 कार्य दिवसों के पश्चात विपत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा।

26 असंतोषप्रद कार्य की स्थिति में प्रत्येक विपत्र पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक की पैनाल्टी लगाई जा सकती है। अत्यंत असंतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में विपत्र का भुगतान नहीं किया जायेगा, साथ ही Performance Guarantee जब्त कर कार्यादेश/एकरारनामा निरस्त कर दिया जायेगा।

27. एकरारनामा के अनुपस्थिति में यह सम्पूर्ण निविदा, इसकी सेवा शर्तें सफल एजेंसी को निर्गत किया गया आमंत्रण पत्र, सफल एजेंसी द्वारा आमंत्रण पत्र के विरूद्ध दिया गया स्वीकृति पत्र, बिहार सचिवालय भोजशाला एवं एजेंसी के बीच बाध्यकारी समझौता माना जायेगा।

28. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को साफ–सुथरे वर्दी, मास्क, हैण्ड ग्लब्स, हेड–कैप, एपरौन में होना चाहिए। यह एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

29. चयनित एजेन्सी को एक हजार (1000) रूपये के स्टाम्प पेपर पर (शपथ–पत्र) एकरारनामा देना होगा कि सत्रावधि में ससमय मानव बल उपलब्ध कराएंगें एवं उनके कार्य से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी। एल 1 दर पर अनुमोदित नयी एजेन्सी अगर सत्रावधि में कार्य करने मे सक्षम नहीं पाये गये अथव उनकें मानव बल द्वारा कार्य करने में असक्षम/अवयवस्था उत्पन्न होने की स्थिति में वैधानिक कारवाई करते हुए अनुमोदित दर पर दुसरे सक्षम(एल 2, एल 3) एजेन्सी को कार्य आवंटन कर दिया जाएगा।

30. **प्रस्तावित मानव बल** (कारीगर एवं कर्मचारी)

क्र0 सं0	कारीगर/ कर्मचारी	दायित्व	विधान सभा भोजशाला	विधान परिषद् भोजशाला	कार्य का समय
			आवश्यकता		
1	कारीगर (वेज थाली)	चावल, दाल, दो सब्जी, भूजिया, सलाद, पापड़ अथवा अन्य कोई भी वेज व्यंजन।	2	2	सुबह 09:00 बजे से संध्या 06 बजे तक अथवा सदन समाप्ति तक।
2	पराठा (कारीगर)	पराठा बेलना एवं सेकना।	2	2	तदैव
3	कारीगर (नॉनवेज)	मटन कड़ी, चिकन कड़ी एवं अण्डा कड़ी अथवा अन्य कोई भी ननवेज व्यंजन।	2	2	तदैव
4	कारीगर (ब्रेड ऑमलेट)	ऑमलेट, सैंड विच, अंडा पोंच, उबला अण्डा	1	1	तदैव
5	कारीगर (हलवाई)	गाजा, काला जामून, बालुशाही, लड्डू, सिंघाड़ा, बंगला निमकी, अथवा अन्य कोई भी आवश्यकता अनुसार मिठाई व्यंजन।	2	2	तदैव
6	कारीगर (नमकीन)	पनीर पकौड़ा, आलू चॉप, सब्जी चॉप, प्याजू अथवा अन्य कोई भी नमकीन स्नैक्स व्यंजन।	2	2	तदैव
7	कारीगर (लिट्टी चोखा)	सत्तू लिट्टी एवं बैंगन, आलू, टमाटर चोखा	2	2	तदैव
8	कारीगर (साउथ इंडियन)	ईडली, मशाल डोसा, पोंगल, चाईनिज व्यंजन	2	3	तदैव
9	कारीगर (चाय, काफी मेकर)	चाय, कॉफी, ग्रीन–टी।	2	2	तदैव
10	कारीगर (फ्रुट सलाद मेकर)	फ्रुट शलाद बनाने एवं सर्फ करने हेतु	2	2	तदैव

11	कुशल वेटर	अनुशासन पूर्वक एवं शालीनता से भोजन, नास्ता एवं चाय सर्व करना ।	42	32	तदैव
12	कामगार (कुशल बर्तन सफाई कर्मी)	कुशलता पूर्वक फ्लोर की सफाई करना।	3	3	तदैव
13	कामगार (कुशल फ्लोर सफाई कर्मी)	कुशलता पूर्वक बर्त्तन की सफाई करना।	2	2	तदैव
14	पर्यवेक्षक	उपरोक्त सभी कार्य का पर्यवेक्षण करना।	3	2	तदैव
		कुल –	69	59	

नोटः– उपरोक्त कारीगर एवं कर्मचारी की संख्या/आवश्यकता सहायक प्रबंधक, बिहार विधान मण्डल भोजशाला के मांग के अनुसार संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। सहायक प्रबंधक के मांग के अनुरूप प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला द्वारा सत्रावधि के पूर्व कार्यादेश निर्गत किया जाएगा एवं सहायक प्रबधक के उपस्थिति/अनुपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

34. सम्भावित सत्र

क्र0 सं0	विवरणी	संभावित तिथि
1	बजट सत्र	फरवरी से मार्च तक (संभावित)
2	मॉनसून सत्र	जुलाई –अगस्त (पांच दिन) (संभावित)
3	शीतकालीन सत्र	नवम्बर–दिसम्बर (पांच दिन) (संभावित)
4	विशेष सत्र	आवश्यकतानुसार
5	मंत्रिपरिषद् की बैठक	आवश्यकतानुसार
6	विभागीय बैठक	आवश्यकतानुसार

16.5.16

प्रबंधक,
बिहार सचिवालय भोजशाला,पटना।

अनुसूची – 1

तकनीकी निविदा निम्नांकित प्रपत्र में समर्पित किये जायेगें।

1. निविदादाता / फर्म का नाम :–

2. पूरा पता :–

3. दूरभाष / मोबाईल संख्या :–

4. बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं तिथि :–

5. बैंक का नाम :–

6. पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न) :–

7. GST नम्बर (छायाप्रति संलग्न) :–

8. एजेंसी / फर्म का पटना, बिहार में निबंधित व्यवसाय का पता :–

9. निबंधित व्यवसाय से संबंधित रजिस्ट्रेशन कागजात (छायाप्रति संलग्न) :–

10. कैंटीन / रेस्टोरेन्ट / कैटरिंग व्यवसाय चलाने में दो (2) वर्षों का अनुभव।

11. एजेंसी / फर्म का कैंटीन / रेस्टोरेन्ट / कैटरिंग / हाउसकीपिंग खान–पान सहित का निबंधन हो :–
    (बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत अथवा कम्पनी एक्ट में निबंधन हो)
12. Audited Financial Statemdnts of FY 2023-24, 24-25, 25-26 (छायाप्रति संलग्न) :–

13. Non Black Listing Afidavit (मूल रूप में संलग्न) :–

14. अनुसूची –2 संलग्न है अथवा नहीं :–

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निविदा की शर्तों को पूरी सावधानी से पढ़कर समझ लिया हूँ एवं उसके पश्चात निविदा पत्र समर्पित किया हूँ। यदि किसी भी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी।

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

नाम :–

पद :–

मोबाईल नं0 :–

ई–मेल :–

अनुसूची – 2

वित्तीय निविदा को निम्न प्रारूप में मुहरबंद करना आवश्यक है :–

क्र0 सं0	विवरणी	संख्या	दैनिक लागत (GST हटाकर)
1	कारीगर (वेज थाली)	4	
2	कारीगर (पराठा)	4	
3	कारीगर (नॉनवेज)	4	
4	कारीगर (ब्रेड ऑम्लेट)	2	
5	कारीगर (लिट्टी चोखा)	4	
6	कारीगर (हलवाई)	4	
7	कारीगर (नमकीन)	4	
8	कारीगर (साउथ इंडियन)	5	
9	कारीगर (चाय, काफी मेकर)	4	
10	कारीगर (फ्रुट सलाद मेकर)	4	
11	कामगार (कुशल वेटर)	74	
12	कामगार (कुशल बर्तन सफाई कर्मी)	6	
13	कामगार (कुशल फ्लोर सफाई कर्मी)	4	
14	पर्यवेक्षक	5	
कुल कारीगर/कर्मचारियों की संख्या		128	
कुल दैनिक लागत (In Figure)			
कुल दैनिक लागत (In Words)			

नोट– उपरोक्त दरों को **GST** हटाकर कोट करना है। **GST** अलग से भुगतान किया जायेगा।

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षरः–

नाम :–

पद :–

मोबाईल नं0 :–

ई–मेल :–